जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक स्था.एक / कृषि / न्या.प्रकरण / 09 दिनांक 02 /01/2025

प्रति,

1. अधिष्ठाता कृषि / कृषि अभियांत्रिकी / उद्यानिकी संकाय, ज0ने0कृ0वि0वि0 जबलपुर।
2. संचालक अनुसंधान / विस्तार / शिक्षण / प्रक्षेत्र / ज0ने0कृ0वि0वि0 जबलपुर।
3. संचालक बायोटेक्नालॉजी सेन्टर, जबलपुर / डी.एच.आर.टी.सी गढ़कोटा, सागर।
4. लेखानियंत्रक / उप लेखानियंत्रक, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय जबलपुर / रीवा / टीकमगढ़ / गंजबसौदा / बालाघाट / पवारखेड़ा / रेहली / उद्यानिकी महाविद्यालय खुरई / छिन्दवाड़ा / कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर / अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त) कृषि / कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर।
7. सहा. कुलसचिव – विधि / सामान्य, ज0ने0कृ0वि0वि0, जबलपुर।

विषयः– शासकीय सेवकों की 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि की स्वीकृति विषयक्।

***

विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8–1 / 2024 / नियम / चार दिनांक 15 / 03 / 2024 के परिप्रेक्ष्य में न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों को 01 जुलाई अथवा 01 जनवरी की स्थिति में पात्रता अनुसार काल्पनिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाकर पेन्शन के निर्धारण / पुनरीक्षण हेतु जारी दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा आदेश जारी किये गये हैं। वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 8–1 / 2024 / नियम / चार दिनांक 18 / 11 / 2024 अंतर्गत न्यायालयों द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों के दृष्टिगत संशोधित दिशानिर्देश जारी किये गये हैं, के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1) विश्वविद्यालय से 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त सेवकों को उनकी सेवा अवधि मे नियत वार्षिक वेतनवृद्धि क्रमशः 01 जुलाई एवं 01 जनवरी में निर्धारित होने पर पेन्शन की गणना हेतु उक्त दिनांकों में एक काल्पनिक (Notional) वेतनवृद्धि स्वीकृत की जावेगी।

2) काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति के आधार पर मात्र पेन्शन के निर्धारण / पुनरीक्षण से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि पेन्शन के अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति देयकों यथा उपादान एवं अवकाश नगदीकरण अथवा अन्य देयकों की पुनर्गणना हेतु मान्य नहीं होगी।

निरंतर....2

3) काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि के फलस्वरुप पुनरीक्षण पेन्शन का लाभ दिनांक 01/05/2023 को या उसके बाद की तिथि से ही प्रभावशील होगा, दिनांक 30/04/2023 से पूर्व की अवधि के लिए पुनरीक्षित पेन्शन का भुगतान नहीं किया जावेगा।

4) जिन विश्वविद्यालयीन सेवानिवृत्त सेवकों द्वारा न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं तथा न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में निर्णय/आदेश पारित किये गये हैं, उनके प्रकरणों के संबंध में पूर्व न्यायालयीन निर्णयों के दृष्टिगत एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15/03/2024 के अनुरुप कार्यवाही की जावेगी।

5) पेन्शन के निर्धारण/ पुनरीक्षण से संबंधित उपरोक्तानुसार कार्यवाही मा. सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में पारित निर्णय के अध्याधीन होगी।

मा. कुलपति जी के आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमांक स्था.एक/कृषि/न्या.प्रकरण/10 दिनांक 02/01/2025

प्रतिलिपिः— निज सचिव कुलपति सचिवालय/कुलसचिव प्रकोष्ठ, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।

कुलसचिव

***

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक स्था.एक/कृषि/न्या.प्रकरण/ 09 दिनांक 02/01/2025

प्रति,

1. अधिष्ठाता कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी संकाय, ज0ने0कृ0वि0वि0 जबलपुर।
2. संचालक अनुसंधान/विस्तार/शिक्षण/प्रक्षेत्र /ज0ने0कृ0वि0वि0 जबलपुर।
3. संचालक बायोटेक्नालॉजी सेन्टर, जबलपुर/डी.एच.आर.टी.सी गढ़कोटा, सागर।
4. लेखानियंत्रक/उप लेखानियंत्रक, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय जबलपुर/रीवा / टीकमगढ़ / गंजबसौदा/ बालाघाट / पवारखेड़ा / रेहली / उद्यानिकी महाविद्यालय खुरई/ छिन्दवाड़ा/ कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर/ अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
6. विभागाध्यक्ष (समस्त) कृषि/कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर।
7. सहा. कुलसचिव – विधि/सामान्य, ज0ने0कृ0वि0वि0, जबलपुर।

विषयः– शासकीय सेवकों की 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि की स्वीकृति विषयक्।

***

विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8–1/2024/नियम/चार दिनांक 15/03/2024 के परिप्रेक्ष्य में न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों को 01 जुलाई अथवा 01 जनवरी की स्थिति में पात्रता अनुसार काल्पनिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाकर पेन्शन के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु जारी दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा आदेश जारी किये गये हैं। वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 8–1/2024/नियम/ चार दिनांक 18/11/2024 अंतर्गत न्यायालयों द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों के दृष्टिगत संशोधित दिशानिर्देश जारी किये गये हैं, के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1) विश्वविद्यालय से 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त सेवकों को उनकी सेवा अवधि मे नियत वार्षिक वेतनवृद्धि क्रमशः 01 जुलाई एवं 01 जनवरी में निर्धारित होने पर पेन्शन की गणना हेतु उक्त दिनांकों में एक काल्पनिक (Notional) वेतनवृद्धि स्वीकृत की जावेगी।

2) काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति के आधार पर मात्र पेन्शन के निर्धारण/ पुनरीक्षण से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि पेन्शन के अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति देयकों यथा उपादान एवं अवकाश नगदीकरण अथवा अन्य देयकों की पुनर्गणना हेतु मान्य नहीं होगी।

निरंतर....2

3) काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि के फलस्वरुप पुनरीक्षण पेन्शन का लाभ दिनांक 01/05/2023 को या उसके बाद की तिथि से ही प्रभावशील होगा, दिनांक 30/04/2023 से पूर्व की अवधि के लिए पुनरीक्षित पेन्शन का भुगतान नहीं किया जावेगा।

4) जिन विश्वविद्यालयीन सेवानिवृत्त सेवकों द्वारा न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं तथा न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में निर्णय/आदेश पारित किये गये हैं, उनके प्रकरणों के संबंध में पूर्व न्यायालयीन निर्णयों के दृष्टिगत एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15/03/2024 के अनुरुप कार्यवाही की जावेगी।

5) पेन्शन के निर्धारण/ पुनरीक्षण से संबंधित उपरोक्तानुसार कार्यवाही मा. सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में पारित निर्णय के अध्याधीन होगी।

मा.. कुलपति जी के आदेशानुसार,

-sd-

कुलसचिव

क्रमांक स्था.एक/कृषि/न्या.प्रकरण/10 दिनांक 02/01/2025

प्रतिलिपिः— निज सचिव कुलपति सचिवालय/कुलसचिव प्रकोष्ठ, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।

कुलसचिव

***